चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकांत राय व क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी गनीवां व उनकी टीम ने ग्राम चनहट में ट्रैक्टर की बैटरी चोरी के अभियुक्त को 01 अदद बैटरी के साथ गिरफ्तार किया।

अभियुक्त का नाम पता का विवरण-

1.निखिलेश्वर उर्फ निखिल पुत्र ओमकारेश्वर उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम चनहट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

बरामदगी-

01 अदद बैटरी

गिरफ्तारी का स्थान/दिनाँक-

चनहट तिराहा के पास वाल्मीकि नदी पुल गनीवा रोड,दिनांक 29.06.2026, समय 05.40 ए0एम

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 28.06.2026 को वादी राममूरत तिवारी पुत्र मोहनलाल तिवारी निवासी चनहट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट ने सूचना दिया कि महिन्द्रा ट्रैक्टर वाहन संख्या UP 96-0775 प्रतिदिन घर के सामने हमेशा खड़ा रहता है। दिनांक 25/06/2026 को समय करीब 01 बजे रात्रि घर के पडोस में रहने वाला निखिलेश्वर ऊर्फ निखिल पुत्र ओंकारेश्वर निवासी चनहट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट रात को संदिग्ध अवस्था में टहल रहा था। उसी ने मौका पाकर ट्रैक्टर की बैटरी निकाल कर चोरी कर लिया। इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 153/26 धारा 303(2) बीएनएस बनाम वाइस्तवा निखिलेश्वर उर्फ निखिल पुत्र ओमकारेश्वर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

आज दिनाँक 29.06.2026 को उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चनहट तिराहा के पास वाल्मीकि नदी पुल गनीवा रोड पर अभियुक्त 1.निखिलेश्वर उर्फ निखिल पुत्र ओमकारेश्वर उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम चनहट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त के पास से चोरी की 01 अदद बैटरी बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी गनीवां
2.आरक्षी अतुल सिंह परिहार
3.आरक्षी राहुल दीक्षित
4.चालक मुख्य आरक्षी वीरेन्द्र कुमार

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकांत राय एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष रैपुरा के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामकुमार दुबे व उनकी टीम द्वारा थाना के सामने खड़ी ट्रक को चोरी करने के आरोपी चालक को चोरी के ट्रक के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का नाम पता का विवरण-

1.विनीत पुत्र सूर्यबली निवासी अमानपुर चकमाली थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट उम्र करीब 45 वर्ष

बरामदगी-

चोरी की 01 अदद ट्रक बरामद

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 28.06.2026 को वादी मुख्य आरक्षी देवराज सिंह पीएनओ-982100183 थाना रैपुरा चित्रकूट द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 25/06/2026 श्रीमान उपजिलाधिकारी जनपद चित्रकूट के द्वारा ट्रक संख्या UP 70 GT 3186 व UP 96 T 7507 का चालान करके थाना कार्यालय रैपुरा में चालानी दाखिल किया गया था। चालान किये गये वाहन संख्या UP 70 GT 3186 को थाना परिसर में रोड के किनारे खडा कराया गया एवं वाहन ट्रक सं0 UP 96 T 7507 के सम्बन्ध में श्रीमान उपजिलाधिकारी जनपद -चित्रकूट द्वारा बताया गया कि उक्त ट्रक संख्या UP 96 T 7507 जिसमें गिट्टी लदी हुई है उसे ड्राइवर लालापुर पहाड़ के नीचे खडा करके मौके से भाग गया है। उक्त वाहनों की चालानी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद प्रधान लेखक द्वारा अविलम्ब वाहन ट्रक सं0 UP 96 T 7507 की सुरक्षा हेतु 02 आरक्षी राजकिशोर व आकाश कुमार यादव को मौके पर लालापुर भेजा गया। आरक्षी राजकिशोर व आकाश कुमार यादव ने दूरभाष पर बताया कि उक्त वाहन ट्रक UP 96 T 7507 मौके पर मौजूद नही है। काफी छानबीन करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका है। आस पास के लोगो ने बताया कि इस वाहन का चालक श्रीमान उप जिलाधिकारी जनपद चित्रकूट के चले जाने पर तुरन्त बाद मौके से अपनी गाड़ी लेकर भाग गया है। उक्त वाहन ट्रक सं० UP 96 T 7507 के चालक के द्वारा बदनीयती से पुलिस अभिरक्षा में प्राप्त शुदा खनिज लदे ट्रक को ले जाकर कही छिपा दिया है। इस सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 189/26 धारा 303(2) बीएनएस बनाम वाहन ट्रक सं० UP 96 T 7507 का चालक नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। उ0नि0 श्री रामकुमार दुबे एवं उनकी टीम ने अभियुक्त विनीत पुत्र सूर्यबली निवासी अमानपुर चकमाली थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट उम्र करीब 45 वर्ष को मय एक अदद ट्रक के साथ भैरम बाबा मोड़ से 100 मीटर पहले से गिरफ्तार किया गया। माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपर्युक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री रामकुमार दुबे
2.आरक्षी सूरज कुमार निर्मल
3.आरक्षी आकाश यादव